कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 2101/322/आ.उ.शि./शा–2/17, भोपाल, दिनांक 08/09/2017

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः–सत्र 2017–18 की आमंत्रण प्रक्रिया में अतिथि विद्वानों के सम्बंध में न्यायालयीन निर्देशों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय से निरंतर रखे जाने या यथास्थिति कायम रखने का आदेश प्राप्त कर कार्य कर रहे अतिथि विद्वानों के सम्बंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते है:–

1. गत वर्ष आमंत्रित जिन अतिथि विद्वानों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर कर, उनकी सेवाएं "निरंतर रखे जाने के" आदेश जारी हुए है, उन अतिथि विद्वानों की उपस्थिति अपने महाविद्यालय में ली जाना सुनिश्चित करें।

   जिन अतिथि विद्वानों की याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा "यथास्थिति" के आदेश पारित किये है, उन प्रकरणो पर संबंधित प्राचार्य तत्काल महाधिवक्ता कार्यालय पहुंचकर शासकीय अभिभाषक से राय ले कि चूंकि "यथास्थिति" के आदेश दिनांक में अतिथि विद्वानों का आमंत्रण नही था, अतः ऐसे प्रकरणों में न्यायालयीन आदेश का पाल किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए।
2. न्यायालयीन आदेश प्राप्त जिन अतिथि विद्वानों ने वर्तमान प्रचलित सत्र 2017–18 की आमंत्रण प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी च्वाईस दी है एवं उन्हें जारी की गयी सूची में आबंटन प्राप्त हुआ है, उन अतिथि विद्वानों को उनको आबंटित महाविद्यालय में उपस्थिति देने हेतु तत्काल निर्देशित करे ताकि वे दिनांक 12.09.2017 सायं 5 बजे तक अपने आबंटित महाविद्यालय में उपस्थित हो सके।
3. न्यायालयीन आदेश प्राप्त जिन अतिथि विद्वानों ने आमंत्रण प्रक्रिया में भाग लिया है किन्तु उनको पर्याप्त पात्रता एवं मेरिट नहीं आने के कारण आबंटन नही हुआ है, उनकी उपस्थिति न्यायालयीन आदेश के पालन में लेते हुए जानकारी तत्काल अपर संचालक (प्रशासन) के नामजद पत्र लिखते हुए संलग्न प्रपत्र–1 में भेजी जाये ताकि समुचित निर्देश जारी किये जा सके।
4. न्यायालयीन आदेश प्राप्त जिन अतिथि विद्वानों ने इस सत्र की आमंत्रण प्रक्रिया में भाग नही लिया है उनकी जानकारी संलग्न प्रारूप–2 में अविलम्ब भेजे ताकि न्यायालयीन आदेश के पालन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

   (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक,प्रशासन
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक 2102/322/आ.उ.शि./शा–2/17 भोपाल, दिनांक 08/09/2017

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल

अपर संचालक,प्रशासन
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

प्रपत्र–1

ाविद्यालय का नाम ....

ाग .... जिला ....

	अतिथि विद्वानों का पंजीयन क्रमांक	अतिथि विद्वान का नाम	याचिका क्रमांक	विषय	पूर्व का आवंटन वर्ष जिसे निरंतर रखा जाना है	पूर्व के सभी महाविद्यालयों के न जहां योगदान दिया गया है
	2	3	4	5	6	7

प्राचार्य के हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

हाविद्यालय का नाम ....

भाग .... जिला ....

.	अतिथि विद्वान का नाम	याचिका क्रमांक	विषय	पूर्व का आवंटन वर्ष तथा पंजीयन क्रमांक		पूर्व के सभी महाविद्यालयों के नाम जहां योगदान दिया गया
				आवंटन वर्ष	पंजीयन क्रमांक	
	2	3	4	5	6	7

प्राचार्य के हस्ताक्षर